**-:प्रेस नोट:-**

**दिनांक- 19.09.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा महिला थाना व परिवार परामर्श केन्द्र का किया गया आकस्मिक निरीक्षण। सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।**

**विवरण**- आज दिनांक 19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल द्वारा महिला थाना व परिवार परामर्श केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महिला संबंधित प्रकरणों तथा लंबित मामलों की समीक्षा की गई साथ ही पीड़ितों को प्रदान की जा रही सहायता एवं सुविधाओं की वास्तविकता को परखा गया। इस दौरान थाना कार्यालय सहित थाना परिसर की साफ-सफाई, महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रोटेशन, आगन्तुकों के लिए शौचालय, पीने के पानी की सुविधाएं, प्रतिक्षाकक्ष की व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया साथ ही थाने के सीसीटीएनएस, महिला हेल्पडेस्क, अपराध रजिस्टर सहित रिकॉर्ड रुम व उनके रख-रखाव आदि का अवलोकन किया गया। थानाध्यक्ष को निर्देशित किया कि महिला सम्बन्धी प्रकरणों मे संवेदनशीलता के साथ-साथ उनकी गोपनीयता का भी ध्यान रखते हुए उनके मामलों का शीघ्रता से निस्तारण करें। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, संवेदनशील एवं और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सम्बन्धित को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर परामर्श सत्र में कम से कम एक अनुभवी, प्रशिक्षित परामर्शदाता रहे जो सामाजिक कार्यकर्ता अथवा विधिक पृष्ठभूमि से प्रशिक्षित हों, ताकि वे दंपत्तियों के पारिवारिक समस्याओं को गंभीरता, गोपनीयता और निष्पक्षता से समझ सकें। पति-पत्नी दोनों को बराबर समय, सहानुभूति और कानूनी जानकारी प्रदान की जाए साथ ही समझौता कराने के प्रयासों को विधिवत दस्तावेज़ित किया जाए, जिससे बाद में भी उनका कानूनी महत्व बना रहे। परिवार का कोई भी सदस्य (विशेषकर पत्नी) यदि किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या धमकी की शिकायत करती है, तो उसकी सुरक्षा, विधिक सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श की तत्काल व्यवस्था की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उच्चाधिकारियों सहित अन्य विभागों से भी सहयोग लिया जाए। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक आदि मौजूद रहे।